

दिनांक 03/11/25

आवश्यक सूचना  
गाँव की बेटा/प्रतिभा किरण योजना 2025-26

सत्र 2025-26 में प्रवेश स्नातक(UG) की छात्राओं को सूचित किया जाता है कि गाँव की बेटा/प्रतिभा किरण योजना की पात्र छात्राएँ अपने आवेदन ऑनलाईन भरकर उसकी एक प्रति निम्न दस्तावेज़ संलग्न कर आवश्यक रूप से महाविद्यालय में अनिवार्यतः जमा करे।

नोट:- 12वीं के पश्चात जो छात्राएँ गेप ना करके उसी वर्ष महाविद्यालय में प्रवेश लेती है। वही छात्राएँ गाँव की बेटा/प्रतिभा किरण योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है। गेप होने की स्थिति में भी छात्राएँ गाँव की बेटा/प्रतिभा किरण योजना का आवेदन करती है तो उनका आवेदन निरस्त किया जायेगा। एवं महाविद्यालय में जमा नहीं करने की स्थिति में विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे इसकी जिम्मेदारी स्वयं छात्रा की होगी।

निम्नांकित सभी दस्तावेज़ निर्धारित क्रमानुसार ही प्रस्तुत करें।

- 01 ऑनलाईन फॉर्म।
- 02 गाँव की बेटा योजना हेतु गाँव के सरपंच, स्कूल प्राचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र की छायाप्रति अनिवार्य है।
- 03 प्रतिभा किरण योजना हेतु बी.पी.एल. राशन कार्ड की छायाप्रति अनिवार्य है।
- 04 (प्रथम वर्ष हेतु 10वीं, 12वीं) द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष की अंतिम उत्तीर्ण कक्षा के अंक सूची की छायाप्रति।
- 05 नवीन आय प्रमाण पत्र/शासकीय कर्मचारी होने पर वेतन पर्ची/फॉर्म 16
- 06 स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। (डिजिटल अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी)
- 07 मूल निवासी प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
- 08 महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क पूर्ण फ़ीस की रसीद/ चालान की छायाप्रति।
- 09 आधार आधारित बैंक पासबुक की छायाप्रति।
- 10 NPCI/DBT E-KYC की छायाप्रति।
- 11 आधार कार्ड की छायाप्रति।
- 12 समग्र आइ-डी की छायाप्रति।
- 13 अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं लेने बाबद हस्तलिखित आवेदन।

**छात्रवृत्ति प्रभारी**

शा. महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातक  
महाविद्यालय किला मैदान, इन्दौर

शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई  
कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
किला भवन, इन्दौर (म.प्र.)